



पश्चिम में खाली जगह, उत्तर में राजू का मकान तथा दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 110 वर्गगज है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व में राजेश का मकान पट्टा संख्या 37, बाकें आम व आम पंचायत देवली तहसील उनीयारा जिला टोक में स्थित एवज में बंधक सम्पत्ति, प्रहलाद बैरवा के स्थापित व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/भूखण्ड गया था व अपाणी/अधिया, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुविधा के से 6,31,000/रुपये (अक्षरें छः लाख इकतीस हजार रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध करवाया कम्पनी से ऋण खाला संख्या HL15VLSLONS00005114690 से दिनांक 30.03.2024 बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अपाणी/गारंटर द्वारा प्रार्थी बैंक/ प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अपाणी/गारंटर, Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 The Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

आदेश दिनांक 04.06.2026

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 सिक्युरिटी इंडेजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल असैट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

- 1-श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी प्रहलाद जाति बैरवा निवासी हरिजन मोहल्ला, देवली, तहसील अलीगढ़ जिला टोक (राज.)
- 2-श्री अशोक आत्मज प्रहलाद जाति बैरवा निवासी हरिजन मोहल्ला, देवली तहसील अलीगढ़ जिला टोक (राज.)
- 3-श्री प्रहलाद आत्मज माया बैरवा जाति बैरवा निवासी हरिजन मोहल्ला, देवली, तहसील अलीगढ़ जिला टोक (राज.)

बनाम

...प्रार्थी (प्रतिपक्ष लेनदार)
कम्पटन कार्रगानी, जयपुर रोड, कामधेनु सिकल, टोक जिला टोक (राज.) 304001
हरिनाथरकरवा विनय, शाखा कार्यालय प्लॉट नंबर 36 ग्राउण्ड फ्लोर रिडी सिव्ही निवास,
15. इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 जारिये अधिकृत नं.
इण्डिया शेल्डर फाईनेन्स कार्रपरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 6 जी फ्लोर, प्लॉट नं.

प्रक्रिया संख्या 49/2026
प्रतिदि दिनांक 15.05.2026

(पीठासीन अधिकारी टीना जाली, आई.ए.एस.)
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट टोक



जिला मजिस्ट्रेट

जिला

Handwritten signature

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and (b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

District Magistrate shall, on such request being made to him- (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated of found- to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him-

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset-

अप्रार्थी/अपीनण ने उपलब्ध अण को, बैंक के साथ किये गये अण अनुबंध की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 10.11.2025 को एन.पी. ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/अपीनण के कुल बकाया राशि 6,52,081/- (अक्षरों में: लाख बावन हजार इक्यासी हजार मात्र) दिनांक 11.11.2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते है। उक्त अपी की प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 11.11.2025 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किये जाने तथा समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद अपी द्वारा अण राशि मय ब्याज चुकाने में यूँक की गई है। अपी द्वारा बन्धक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं सम्मलया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि क पुनर्मुगान हेतु रहन श्रुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक / कम्पनी को जारिये पुलिस इमदाद सम्मलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रभावशी एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक/ कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा संग्रहान नहीं किया गया। न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या 6256/2016 पंजकर्मण व अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर व अन्य, में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2016 के अनुसार अपी की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नोटिस जारी किया जाने व तामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः अपी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबत स्पष्ट प्रावधान है, जो इस प्रकार है।



जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
जिला मजिस्ट्रेट

Jo

आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा वहन किया जायगा।
आधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनभत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो
सूझया करना है कि निर्णय प्रति भिजवाई जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु
कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक को पर्याप्त पुलिस जाला
सक्षम न्यायालय का स्थान आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकल
पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी
प्राधान्यों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की
फाईनलियाल एसेट्स एण्ड एनकाउंटेड ऑफ सिविलरिडिस्ट्रिक्ट एण्ड सीकन्सर्टवशन ऑफ
पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिविलरिडिस्ट्रिक्ट एण्ड सीकन्सर्टवशन ऑफ
निर्णय प्रति तहसीलदार अलीगढ़ को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के

उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होगा।
है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्राधान की पालना नहीं की गई है तो सम्पत्ति
2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजों के आधार पर दिये जा रहे

है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कथारत से करवावे।
1.रहन सूदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकल यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता
को सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :
पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन सूदा सम्पत्ति को प्रार्थी
आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ
नियमों के अनुसार सम्पत्त कायदाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थान
प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आधार का शपथ पत्र पेश किया कि

in his opinion, be necessary.
cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,
(1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or
(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section